


राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक प. 13(9)साप्र/5/92

जयपुर, दिनांक: 13.10.2014


आदेश

श्री जिले सिंह, प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर के पद पर कार्य कर रहे हैं तथा जो राजस्थान विश्राम भवन अधीनस्थ सेवा से सम्बन्धित हैं, को दिनांक 31.07.2015 से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31.07.2015 को सेवानिवृत्त किया जाता है।

  
(अर्जुन कुमार सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
3. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर।
4. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि श्री जिले सिंह, प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर के विरुद्ध आपके विश्राम भवन की कोई बकाया हो, तो सूचित करावें, बकाया न होने की स्थिति में अदेयता प्रमाण-पत्र प्रेषित करावें।
5. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि श्री जिले सिंह, प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर के विरुद्ध आपके विश्राम भवन की कोई बकाया हो, तो सूचित करावें, बकाया न होने की स्थिति में अदेयता प्रमाण-पत्र प्रेषित करावें।
6. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री जिले सिंह, प्रबन्धक का पेंशन कुलक तैयार कर समय पर प्रस्तुत करें।
7. श्री जिले सिंह, प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
8. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

  
शासन सचिव  
(अर्जुन कुमार सिंह) विभाग  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5)  
शासन सचिवालय, जयपुर